# महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन,

ब्लॉक–II द्वितीय तल, नया रायपुर, (छत्तीसगढ़)

## विज्ञापन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में संविदा के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु **आवेदन संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से दिनांक 23.02.2018 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।**

1. रिक्त पदों की जानकारी जिलेवार परिशिष्ट 1 में दर्शित है।
2. शैक्षणिक योग्यता के संबंध मे जानकारी परिशिष्ट 2 में दर्शित है।

*नियम एवं शर्तें :–*

1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से दिनांक 23.02.2018 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर **संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त** किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरुप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2018 के आधार पर की जावेगी।
3. एकमुश्त संविदा वेतन :–

**संविदा वेतन एकमुश्त**

| क्र. | पदनाम | वेतन | ग्रेड वेतन | एकमुश्त संविदा वेतन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | समन्वयक (शिकायत निवारण) | 15600-39100 | 5400 | 36465 |
| 2 | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 15600-39100 | 5400 | 36465 |
| 3 | कार्यक्रम अधिकारी | 9300-34800 | 4400 | 28080 |
| 4 | सहायक प्रोग्रामर | 9300-34800 | 4300 | 24765 |
| 5 | तकनीकी सहायक | 9300-34800 | 4200 | 23010 |
| 6 | लेखापाल | 5200-20200 | 2400 | 16445 |
| 7 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | 5200-20200 | 2400 | 16445 |
| 8 | सहायक ग्रेड–03 | 5200-1900 | 1900 | 12675 |
| 9 | भृत्य | 4750-7440 | 1300 | 10140 |

टीप :– विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एक मुश्त राशि वेतन वह होगा जो वित्त विभाग समय–समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा नियत करें।

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति सत्यापन प्रमाण अथवा शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
5. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व–प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्व–प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।